मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 16/**03/2024**

क्र. IPI/5/0034/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स पंचमहल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि. द्वारा डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन में रूपये 354.13 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से डेयरी प्रसंस्करण परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2208170001) पर निम्नानुसार सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत स्थापित किये गये नवीन विद्युत संयोजन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 05 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये, जिसकी अधिकतम सीमा राशि रु. 7.50 करोड तक होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत स्थापित किये गये नवीन विद्युत संयोजन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 07 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये, जिसकी अधिकतम सीमा राशि रु. 7.00 करोड तक होगी।

4. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

5. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

6. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(शाश्वत सिंह मीना)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर........